फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अशोक | **विपक्षी : श्री रामलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 117/21**

जीसीएमएस : 2021/442

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकरतफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण खातेदार थे। प्रार्थी द्वारा यह कथन करते हुए कि सहमति विभाजन में प्रार्थी को भूमि कम दी गई जिसके सम्बन्ध में एक वाद घोषणा का पेश किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी स्वयं ही स्वीकार कर रहा है कि वादग्रस्त भूमि का सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका हैं। वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षीगण पृथक–पृथक भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:40:58 IST
Reason: SelfAttested